संख्या-29/2024/001-1034- 27-3099/217/2024

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2024

विषय:- राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर से संबंधित नहर निर्माण में आच्छादित भूमि के प्रतिफल की धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-443/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/सरयू परियोजना-द्वितीय, दिनांक 12.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर से संबंधित नहर निर्माण में आच्छादित भूमि के प्रतिफल की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 86,74,439.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर से संबंधित नहर निर्माण में आच्छादित भूमि के प्रतिफल की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति रूपये 86,74,439.00 (छियासी लाख, चौहत्तर हजार, चार सौ उन्तालीस रूपये मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रशासकीय विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी- 2-2528/ दस- 2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करेगें।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ प्रशासनिक विभाग का होगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रशा0 विभाग का होगा।

(7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(8) प्रशा0 विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या-बी- 2-2528/ दस- 2014-10-77 दिनांक 26.08.2014 के प्रस्तर- 4 के अनुसार प्रायोजना का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण सक्षम स्तर से करा लिया गया है।

(9) प्रशा0 विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रशासकीय विभाग अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं 0- ए-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रशासकीय विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(14) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्याः 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांकः 04 मार्च 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19 जून ,2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा|

(15) उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 86,74,439 (रुपये छियासी लाख चौहत्तर हजार चार सौ उनतालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700-17-050-10-16 पूर्ण परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान(वाणिज्यिक) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-8-308-X-2024-25, दिनांक 24-10-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
6- मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-द्वितीय), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, बलरामपुर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती ।
10- अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड-2, तुलसीपुर, बलरामपुर।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।